दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

एक कदम स्वच्छता की ओर

मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/जनरल/ II /6717 दिनांक:- 12.12.2019

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-336/2019

विषय:-Administrative posts in IRMS.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(P&A)I-2016/RT-16 दिनांक 20.11.2019, RBE No. 200/2019 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक, आरबीई एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1.	RB Letter dated.20.09.2018	263/2018

उपरोक्त नियम दपूमरे की अधिकारिक वेब-साइट http://www.secr.indianrailways.gov.in एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (2 पृष्ठ)

12.12.19
(हफिज मोहम्मद)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.क्यू.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

E&H SL No - 336/2019 P/1

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. E(P&A)I-2016/RT-16 **RBE No.200/2019**
New Delhi Dated: 20.11.2019

The General Managers,
All Indian Railways/ Production Units.

Sub: Administrative posts in IRMS.

Ref: Board's letter of even No. dt. 20.09.2018. 263/18

******

A list specifying the administrative posts in IRMS under the Ministry of Railways is given at S.No.1 of Annexure 'C' of Board's instructions of even No. dt. 20.09.2018. The matter has further been considered by the Board and it has been decided to partially modify the list of administrative posts in IRMS as under:

(i) All doctors working in Railway Board office;
(ii) All doctors working in Headquarters office;
(iii) CMS and MDs working in Divisional Office and In-charge of various Central Hospital and PU Hospitals
(iv) Sr. Professor (HM)/ NAIR

2. It has also been decided that options submitted by serving doctors belonging to IRMS and Dental Doctors under the Ministry of Railways to serve the Government upto 65 years and involving inter-railway transfer are forwarded by the Personnel Branches of the Railways/ PUs concerned to the Board's office (Secretary's Confidential Cell) and a copy of the same should also be endorsed to DG/ RHS.

(N. P. Singh)
Jt. Director Estt. (P&A)
Railway Board

No. E(P&A)I-2016/RT-16 **New Delhi, dated 20.11.2019**

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, R.No.253, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).
2. The General Secretary, NFIR, R.No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.(with 60 spares).
4. The Secretary General, FROA, R.No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.(with 5 spares).
5. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officer Association, R.No.402, Rail Bhawan (with 5 spares).
6. The President, Railway Board Class II Officers' Association.
7. The Secretary General, IRPOF, Room No.341-C, Railway Board.

336/2019
P/2

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 200/2019

सं. ई(पी एंड ए)I-2016/आरटी-16

नई दिल्ली, दिनांक: 20.11.2019

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय: आईआरएमएस में प्रशासनिक पद।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 20.09.2018 का समसंख्यक पत्र।

*****

रेल मंत्रालय के अधीन आईआरएमएस में प्रशासनिक पदों की विशिष्ट सूची बोर्ड के दिनांक 20.09.2018 के समसंख्यक अनुदेशों के अनुलग्नक 'ग' के क्र.सं. 1 में दी गई है। इस मामले पर बोर्ड द्वारा पुनः विचार किया गया है और आईआरएमएस में प्रशासनिक पदों की सूची को आंशिक रूप से निम्नानुसार संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है:

(i) रेलवे बोर्ड कार्यालय में कार्यरत सभी डॉक्टर;
(ii) मुख्यालयों में कार्यरत सभी डॉक्टर;
(iii) मण्डल कार्यालय में कार्यरत सीएमएस एवं एमडी और विभिन्न केंद्रीय अस्पतालों तथा उत्पादन इकाइयों के अस्पतालों के प्रभारी
(iv) वरिष्ठ प्रोफेसर (एचएम)/एनएआईआर

2. यह भी विनिश्चय किया गया है कि रेल मंत्रालय के अधीन आईआरएमएस और डेंटल डॉक्टरों से संबंधित सेवारत डॉक्टरों द्वारा 65 वर्ष तक सरकार की सेवा करने और उसमें शामिल अंतर-रेलवे स्थानांतरण के दिए गए विकल्पों को संबंधित रेलवे/उत्पादन इकाइयों की कार्मिक शाखाओं द्वारा बोर्ड कार्यालय (सचिव का गोपनीय कक्ष) को अग्रेषित किया जाए और इसकी एक प्रतिलिपि महानिदेशक/आरएचएस को भी पृष्ठांकित की जाए।

(एन.पी. सिंह)
संयुक्त निदेशक स्थापना (पी एंड ए)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एंड ए)I-2016/आरटी-16

नई दिल्ली, दिनांक 20.11.2019

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं.253, रेल भवन, नई दिल्ली। (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं.256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली। (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली। (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।